उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-46 **/2016/1681/30-3-16-06बी/2014-2**

लखनऊ, दिनॉक 20 जून, 2016

संशोधन/शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनागत पक्ष में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित धनराशि रू0 26059 हजार (रू0 दो करोड़ साठ लाख उनसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-38/2016/989/30-3-16-06बी/2014-2, दिनॉक 25 मई 2016 व धनराशि रू0 39446 हजार (रू0 तीन करोड़ चौरान्नवे लाख छियालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-39/2016/999/30-3-16-06बी/2014-2, दिनॉक 25 मई 2016 द्वारा जारी की गयी है। उक्त दोनों शासनादेशों में टंकण त्रुटिवश "उक्त शासनादेशों के प्रथम प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-(6) की प्रथम पंक्ति में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2016-17 की जगह वित्तीय वर्ष 2015-16 अंकित हो गया है।

2- अत: उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्रथम प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-(6) की प्रथम पंक्ति में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2015-16 की जगह वित्तीय वर्ष 2016-17 पढ़ा जाये। तदनुसार उक्त शासनादेश संख्या-38/2016/989/30-3-16-06बी/2014-2, दिनॉक 25 मई 2016 एवं शासनादेश संख्या-39/2016/999/30-3-16-06बी/2014-2, दिनॉक 25 मई 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव।

संख्या- 46/2016/1681(1)/30-3-2016, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
5- वित्त, (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्किीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।